यालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

सीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिह, आर.ए.एस.

इमा नम्बर 140/2021 राजस्व वाद

01. भगवान सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी– दहीमथा पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

--- वादी

बनाम

01. शैल सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी– दहीमथा पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

--- प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बाबत विभाजन आराजियात

स्थित :–

ी मुकेश कुमार तंवर, –अधिवक्ता वादी

कपक्षीय– प्रतिवादीगण

रोकार सरकार –अधिवक्ता–प्रतिवादी

:: निर्णय :: दिनांक– 05.11.2024

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत त कर सरहद दहीमथा पटवार हल्का दहीमथा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला वाड़ा (राज0) मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के नाम शामलाती खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। लाती होने से मौके पर सदैव मेड पाली की घास काटने तथा खेत की हंकाई ,चराई आदि मे विवाद से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादी का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये स्टर्ड एडी जारी किए गए। रजिस्टर्ड एडी प्रेषित दिनांक से विहित समयावधि एक माह व्यतीत होने पर प्रतिवादीगण उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादी अधिवक्ता की एक ा बहस सुनी गई। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजातात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा ा वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार करेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार वादपत्र को डिक्री ा का निवेदन किया गया।

मैने वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, ीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। अतएवः

आदेश

सरहद दहीमथा पटवार हल्का दहीमथा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला वाड़ा (राज0) के आराजी नम्बर 1598/1488 रकबा 0.5059 हैक्टयर मे वादी एंव प्रतिवादी संख्या 01 के निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारो के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे ीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

खातेदार का नाम– भगवान सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह राजपूत सा.दहीमथा खातेदार के नाम पर–

ं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
	1598/1488/2	0.2530 हैक्टयर

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़

कुल किता 01	0.2530 हैक्टयर

खातेदार का नाम– शैलसिंह पुत्र श्री भंवर सिंह राजपूत निवासी– दहीमथा खातेदार के नाम पर–

आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1598 / 1488 / 1	0.2529 हैक्टयर
कुल किता 01	0.2529 हैक्टयर

विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिक्री जारी हो, उक्तानुसार डिक्री जारी करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना करे।

यह निर्णय आज दिनांक 05.11.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़

(जोगेन्द्र [illegible])
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)